न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/242/2016

उनवान

1. मियाचन्द आत्मज चुन्नी लाल बैरवा निवासी अरनिया तहसील सहाडा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर, जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के प्रकरण संख्या 118/2012 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.7.2015 एवं निर्णय दिनांक 11.4.2016

अधिवक्तागण :–

1. श्री पर्वत सिंह चुण्डावत , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 20.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अरनिया के बेरून हल्का आबादी में आराजी नम्बर 31/1 रकबा 30 बीघा 13 बिस्वा स्थित होकर बिलानाम काबिज काश्त दर्ज रेकार्ड थी इस साबिक आराजी नम्बर में से 5 बीघा भूमि वादी के पिता चून्नी लाल पिता किशोर चमार साकिन अरनिया के नाम दिनांक 21.1.1981 को आवंटित हुई और यह साबिक आराजी जरिये नामान्तरकरण संख्या 307 के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादी के पिता चून्नी लाल के नाम से गैरखातेदारी अधिकार सेदर्ज हो उसके आराजी नम्बर 31/1/3 कायम होकर रेकार्ड में दर्ज हुए तब से ही इस आराजी पर पहले वादी के पिता एवं उनके बाद आज तक वादी का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। उक्त आराजी का हिस्सा 5 बीघा वादी के पिता को आवंटित हुआ उसके पडौस निम्न है :–

पूर्व : किशना जी चमार की थी जो अभी विक्रय कर दी।
पश्चिमः आम रोड
उत्तर : पडत सरकारी जमीन
दक्षिण : स्कूल के खेल मैदान

उक्त पडौसों के मध्य स्थित भूखण्ड पर वक्त आवंटन से वादी का कब्जा चला आ रहा है। इस भूमि पर वादी ने तालाब की गार भरवाई। भूमि को उन्नत किया और हजारों रूपये खर्च किये। वादी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और खेती ही उसके भरण पोषण का एक मात्र साधन है।

2. वर्तमान में जो बन्दोबस्त हुआ। उसमें आराजी नम्बर 31/1 मीन के कई नम्बर कायम हुए । जिसमें जो क्षेत्र वादी के कब्जे में आता है वह आराजी संख्या 209 में फिट हुआ और बाद में शुद्धि पत्र के जरिये इस 209/1 मीन की जगह 1591/209 कायम हुए और इसे बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया गया जब कि यह भूखण्ड वादी के कब्जे में ही चला आ रहा है और वादी उपरोक्त पडौसों के मध्य स्थित भूमि का वादी खातेदार काश्तकार घोषित होने योग्य है। नवीन भू प्रबन्ध में आवंटित भूमि को पुनः बिलानाम सरकार काबिल काश्त दर्ज कर दिया गया जबकि भू प्रबन्ध अधिकारियों के पास किसी सक्षम न्यायालय का कोई आदेश, डिक्री नहीं होते हुए भी मन मकसूद तरीके से अपने अधिकारों से परे जाकर वादी के पिता को आवंटित भूमि को पुनः बिलानाम सरकार दर्ज कर कानूनी गलती की है। जिससे इन्द्राज दुरूस्त करवा पुनः वादी के नाम पर राजस्व

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * भीलवाड़ा (राज.) *

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रेकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि को बिलानाम दर्ज कर दिये जाने से राजस्व रेकार्ड में गलत इन्द्राज कर दिये जाने का नाजायज लाभ उठाकर राज्य सरकार कभी भी अन्य लोगों को आवंटित कर सकती है या वादी को बेदखल कर सकती है। वादग्रस्त आराजी पर पिछले 35 सालों से वादी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। यदि वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर दिया गया तो वादी का परिवार भूखों मर जायेगा । पटवारी हल्का द्वारा बताने पर वादी को वादग्रस्त आराजी बिलानाम दर्ज होने की जानकारी हुई। तब जाकर राजस्व रेकार्ड प्राप्त कर वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध घोषणात्मक डिक्री इस आशय की जारी कराई जावे कि ग्राम अरनिया की साबिक आराजी नम्बर 31/1/3 रकबा 5 बीघा जिसके हाल आराजी नम्बर 1591/209 का वादी को खातेदार काश्तकार घाषित किये जाने की डिक्री पारित की जावे। साथ ही प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वे वादग्रस्त आराजी नम्बर 1591/209 में स्थित आराजी को किसी अन्य को आवंटित नहीं करे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण/वादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलार्थी को जानकारी नही थी। अपीलार्थी/वादी अधिनस्थ न्यायालय में घूमता रहा एवं जानकारी की कि पेशी कब है तो कार्यालय से आश्वासन मिलता रहा कि फाईल नहीं मिल रही है, मिलते ही बता देंगे। दिनांक 31.8.2016 को जब वादी अपने अधिवक्ता को लेकर अधिनस्थ न्यायालय में गया बताया गया कि पत्रावली दिनांक 14.7.2015 को लोक अदालत में निर्णित कर दी गई। तब अपीलार्थी ने निर्णय एवं डिक्री की नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया एवं नकल प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प में निस्तारण किया गया है जबकि लोक अदात केम्प में दोनों पक्षों के मध्य सहमति से राजीनामा होने के आधार पर ही निस्तारित किया जा सकता है। अपीलाधीन मामले में कैम्प में अपीलार्थी की गवाही भी नहीं ली । प्रतिवादी के गवाहान के बयान लेकर अपीलार्थी को जिरह का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, रेकार्ड का भी सही रूप से अवलोकन नहीं किया सीधे ही प्रतिवादी के जवाब के आधार पर निर्णय पारित करने मे भारी भूल की है। वादी को अवसर प्रदान किया जाता तो वह गवाह प्रस्तुत करता एंव अपने कब्जे का को साबित कराता । अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर जो निर्णय व डिक्री पारित की है वह निरस्त योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान भू प्रबन्ध कर्मचारियों एंव अधिकारियों को राजस्व रेकार्ड में पूर्व इन्द्राज को दोहराव करना होता है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। सक्षम न्यायालय के आदेश अथवा सक्षम अधिकारी के आदेश के उपरान्त ही पूर्व इन्द्राज में परिवर्तन किया जा सकता है। अपीलाधीन प्रकरण में भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों ने बिना सक्षम आदेश के अपीलार्थी/वादी की भूमि को बिलानाम दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्ध है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है तथा आवंटित/वादग्रस्त भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए लाखों रूपये खर्च कर किये है अपीलार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है एवं उसके आजीविका का एकमात्र साधन वादग्रस्त आराजी है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई विचारण नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन शर्तो की पालना की है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को आंवटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने चाहिये थे। अपीलार्थी/वादी का वादग्रस्त आराजी पर आवंटन के पश्चात से लगातार कब्जाकाश्त होने से प्रतिकूल कब्जा भी साबित होता है। यदि अपीलार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई थी तो प्रतिवादीगण को अपीलार्थी के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिये थीं । इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो निरस्त योग्य है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा दिनांक 14.5.2013 को जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है जिसमें भी स्वीकार किया गया है कि आराजी संख्या 31/1/3 को बिलानाम सरकार दर्ज किया है तथा नामान्तरकरण संख्या 307 को भी प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है। जब प्रतिवादीगण वादी के कथनों को स्वीकार करते हैं तो ऐसी स्थिति में अपीलार्थी/वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना चाहिये था। जो स्वीकार नहीं कर अपीलार्थी/वादी का वाद खारिज करने में भारी विधिक भूल की है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे एवं वादी का वाद डिक्री किया जावे।

11. प्रत्यर्थीगण की ओर से राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे तथा साथ ही निवेदन किया कि अपीलार्थी/वादी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जाकाश्त नहीं होने से भू प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान बिलानाम दर्ज की गई। अपीलार्थी का वादग्रस्त भूमि पर लगातार कब्जाकाश्त नहीं रहा है। अपीलार्थी ने आवंटन के उपरान्त लगातार कब्जाकाश्त होने संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

12. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

13. अपीलार्थी का निवेदन है कि अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। प्रकरण का राजस्व लोक अदालत कैम्प में निस्तारण किया है जबकि उभयपक्ष के मध्य प्रकरण में राजीनामा नहीं हुआ है। लोक अदालत कैम्प में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होने पर ही निस्तारण किया जाता है। हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय मे प्रकरण दिनांक 141.2.2013 को पंजिबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 27.5.2013 की आदेशिका के अनुसार पत्रावली को जवाब दावा आने से तनकियात कायमी में आगामी पेशी दिनांक 18.6.2013 नियत की गई। दिनांक 23.2.2015 को पत्रावली वास्ते तनकियात कायमी दिनांक 23.6.2015 को आगामी तारीख पेशी नियत की गई। दिनांक 23.6.2015 को कोई आदेशिका नहीं लिखी गई। उसके उपरान्त सीधे ही दिनांक 14.7.2015 की तारीख लिखी गई परन्तु उक्त तारीख को कोई आदेशिका नहीं लिखी गई। उक्त तारीख को अपीलार्थी/वादी के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त 14.7.2015 को प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई । इसका कोई अंकन नहीं किया गया है। अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने का भी आदेशिका में कोई अंकन नही किया गया है। सीधे ही दिनांक 14.7.2015 को अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। उक्त निर्णय लोक अदालत कैम्प अरनिया में पारित किया गया है ।

14. दिनांक 14.7.2015 को कैम्प कोर्ट में ही पटवारी हल्का तुलसीराम के बयान लिये गये । जिसमें पटवारी हल्का ने वादी के पिता चुन्नी लाल पिता किशोर के नाम से आराजी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नम्बर 31/1 में से 5 बीघा भूमि का आवंटन किया जाना स्वीकार किया है। तथा वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी/वादी का कब्जा काश्त नहीं होने का कथन किया है। पटवारी हल्का के बयान के उपरान्त दिनांक 14.7.2015 को प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई है एवं न ही उसके उपरान्त अपीलाधीन प्रकरण में कोई आदेशिका भी हीं लिखी गई है। उसके उपरान्त दिनांक 11.4.2016 अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। अपीलाधीन प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त तनकियात कायमी में प्रकरण लंबित चल रहा था। ऐसी स्थिति में प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था।

15. अपीलार्थी/वादी को वादग्रस्त आराजियात का अपीलार्थी/वादी के पिता चुन्नी लाल पिता किशोर के नाम से आराजी नम्बर 31/1 में से 5 बीघा भूमि का आवंटन किया जाना पटवारी श्री तुलसीराम ने अपने बयानों में स्वीकार किया है। उक्त आवंटन को प्रत्यर्थी की ओर से खारिज नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी का आवंटन आज तक यथावत है। यदि अपीलार्थी/वादी द्वारा वादग्रस्त आराजियात पर आवंटन के उपरान्त आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई थी अथवा कब्जाकाश्त नहीं था तो प्रतिवादी को सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवंटन निरस्त कराया जाना चाहिये था।

16. अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थी का आवंटन वर्तमान में निरस्त नहीं हुआ है। अपीलार्थी ने वादग्रस्त आराजी को आवंटन एवं उसके उपरान्त अपना कब्जाकाश्त होने के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने का निवेदन किया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

था एवं उसका यह निवेदन रहा है कि भू प्रबन्ध के दौरान पूर्व इन्द्राज को रिपिट नहीं कर वादग्रस्त आराजी को बिलानाम दर्ज किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत करने के उपरान्त तनकियात कायमी में लंबित था। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट हुआ है कि फर्द अहकाम प्रक्रियानुरूप नहीं लिखा गया है। अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थी/वादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं कर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

17. अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.7.2015 एवं दिनांक 11.4.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, रेकार्ड के आधार पर तनकीवाईज गुणावगुण के आधार पर विस्तृत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 9.10.19 को उपस्थित रहे।

18. निर्णय आज दिनांक 20.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा